भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 231
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: **किसानों पर वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव**
231. श्री राजीव राय:
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान देश के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसानों पर वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में कोई बड़े कदम उठाए हैं; और
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): जी हाँ, सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देश में कृषि पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय कार्य जलवायु परिवर्तन योजना (एनएपीसीसी) देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी के तहत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है, जो बदलती जलवायु हेतु कृषि को अधिक अनुकूल बनाने के लिए कार्यनीतियों को कार्यान्वित करता है। प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए एनएमएसए के तहत कई योजनाएँ भी शुरू की गई हैं। प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए जैविक खाद और जैव-उर्वरकों के साथ माध्यमिक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने में राज्यों की सहायता करती है। बागवानी, कृषि वानिकी एकीकृत विकास मिशन और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ-साथ मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक

आपदाओं से होने वाली फसल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके फसल विफलता के लिए एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस परियोजना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन की विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 17 जिलों बागपत, बहराइच, बांदा, बस्ती, चित्रकूट, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, कानपुर (देहात), कौशांबी, कुशीनगर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, संत रविदास नगर और सोनभद्र के 3 से 4 गांवों के एक समूह को प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए चुना गया। इन जिलों में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों जैसे चावल गहनीकरण प्रणाली, एरोबिक चावल, चावल की सीधी बुवाई, जीरो टिल गेहूं बुवाई, सूखे और गर्मी जैसी चरम मौसम स्थितियों को सहन करने वाली जलवायु अनुकूल किस्मों की खेती; चावल के अवशेषों का इन-सीटू समावेशन आदि का विकास और प्रदर्शन किया गया है। इन जिलों में जलवायु अनुकूल कृषि पर किसानों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी चलाए गए।

*****